UPMO010068762023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियॉ (एच0जे0एस0)–यू0पी0–2411

विशेष सत्र परीक्षण संख्या –1026/2023

अपराध संख्या 1089/2020

धारा 135 विद्युत अधिनियम,

थाना एण्टी पॉवर थैफ्ट , जिला मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

श्रीमती तारा बेगम पुत्र गफ्फार अहमद नि0 पंखे वाली गली, निकट कमाल पीलवान मौहल्ला चौकी हसन खा, थाना नागफनी, मुरादाबाद ।

28–07–2026

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्ता श्रीमती तारा बेगम पिछले काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्तमान विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्ता श्रीमती तारा बेगम के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध जारी सम्मन पर सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्ता तारा बेगम की मृत्यु दिनांक 25–07–2020 को हो चुकी है। थाना नागफनी की आख्या प्रदर्श–2 के साथ में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें अभियुक्ता तारा बेगम की मृत्यु दिनांक 25.07.2020 को हो चुकी है जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता तारा बेगम पुत्र गफफार अहमद नि0 पंखे वाली गली, निकट कमाल पीलवान मौहल्ला चौकी हसन खां थाना नागफनी, मुरादाबाद की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसके विरूद्ध वाद कार्यवाही नियमानुसार उपशमित की जाती है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर अभियुक्ता श्रीमती तारा बेगम एकमात्र अभियुक्ता है। अतः पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये। कार्यालय लिपिक अनुपालन करें।

(अंचल लवानियॉ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 4, मुरादाबाद।